दिल्ली विश्वविद्यालय
स्थापना शाखा–2(I)
प्रशासनिक खण्ड
दिल्ली–110007
UNIVERSITY OF DELHI
ESTABLISHMENT BRANCH-II (I)
Room No. 203
Administrative Block
Delhi - 110 007
Tel. No. 27667725 Extn. 1168

Ref. No. Estab.II(i)2011/__________

जुलाई 22, 2011

सभी संकायों के अधिष्ठाता
सभी विभागों के अध्यक्ष
सभी महाविद्यालयों के प्रिन्सिपल एवं
विश्वविद्यालय से संबंध संस्थाओं/शाखाओं के प्रमुख,
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली/नई दिल्ली

विषय :- **विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से संबन्धित महाविद्यालयों/संस्थाओं के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना (MACP Scheme) के बारे में ।**

मान्यवर,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रेषित पत्र संख्या एफ.4-5/2009(JCRC) दिनांक 9 जुलाई, 2010 के माध्यम से आयोग ने विश्वविद्यलय एवं विश्वविद्यालय से संबन्धित महाविद्यालयों/संस्थाओं के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना को <u>दिनांक 01-09-2008</u> से लागू करने की स्वीकृति प्रदान की है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उपरोक्त पत्र, संशोधित सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना के दिशा निर्देशों एवं कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (भारत सरकार) द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए अधोलिखित पत्र सूचना एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र में दर्शाये गए दिशा निर्देशों का पूर्णत: अनुपालन हेतू प्रेषित हैं ।

i) स-35034/3/2008-स्था।(घ), दिनांक मई 19, 2009
ii) स-35034/3/2008-स्था।(घ), दिनांक नवम्बर 16, 2009
iii) स.350211/3/2008-स्था।(घ), दिनांक जुलाई 30, 20̸10 एवं
iv) स.35034/3/2008-स्था।(घ), दिनांक सितम्बर 09, 2010

संशोधित सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना के मामलों का निर्धारण, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों के अंतर्गत लिए गए निर्णय के अनुरूप किया जाये ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपरोक्त पत्र में निहित निर्णय एवं भारत सरकार के विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों से कार्यकारी परिषद को, दिनांक जुलाई 01, 2011 को आयोजित बैठक के माध्यम से प्रतिवेदन के लिए सूचित कर दिया गया है ।

भवदीय

सहायक कुलसचिव - स्था।(गै.शै.)

संलग्न: उपरोक्त पत्र एवं कार्यालय ज्ञापन

सं. 35034/3/2008-स्था.(घ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली, 19 मई, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना ।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 6.1.15 में संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना की सिफारिश की है । सिफारिशों के अनुसार, जब कर्मचारी एक ही ग्रेड में 12 वर्ष की सतत सेवा पूरी कर लेता है तो उसे अगले उच्चतर ग्रेड वेतन में वित्तीय उन्नयन का लाभ मिलेगा । तथापि, जैसा कि पिछली योजना में प्रावधान किया गया था, सम्पूर्ण कैरिअर में दो से अधिक वित्तीय उन्नयन नहीं दिए जाएंगे । उपर्युक्त योजन का लाभ समूह 'क' के सभी पदों के लिए भी मिलेगा चाहे वे एकल पद हों या नहीं । तथापि संगठित समूह 'क' सेवाओं को उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किया जाएगा ।

2. सरकार ने एक संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना लाने के लिए छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है और सतत नियमित सेवा के 10, 20 तथा 30 वर्षों के अन्तरालों पर संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत तीन वित्तीय उन्नयन देने के लिए पुनः और संशोधन के साथ इन्हें स्वीकार कर लिया है ।

3. उपर्युक्त योजना को ''केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना (एम.ए.सी.पी.एस.)'' के रूप में जाना जाएगा । यह योजना पिछली ए.सी.पी. स्कीम तथा इसके अंतर्गत जारी स्पष्टीकरणों को अधिक्रांत करते हुए लाई गई है और संगठित समूह 'क' सेवा के अधिकारियों के सिवाए केन्द्रीय सरकार के नियमित रूप से नियुक्त समूह ''क'', ''ख'' और ''ग'' के सभी सिविलियन कर्मचारियों के लिए लागू होगी । जैसा कि छठे केन्द्रीय वेतन

आयोग द्वारा सिफारिश की गई है, समूह ''घ'' कर्मचारियों का दर्जा उनका निर्धारित प्रशिक्षण पूरा होने पर समाप्त हो जाएगा और उन्हें समूह ''ग'' कर्मचारी माना जाएगा । 'अस्थाई दर्जा' दिए गए तथा सरकार में केवल तदर्थ या संविदा आधार पर ही नियुक्त कर्मचारियों सहित अनियत कर्मचारी उपर्युक्त योजना के अंतर्गत लाभ के हकदार नहीं होंगे । संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना का ब्यौरा और इसके अधीन वित्तीय उन्नयन दिए जाने के संबंध में शर्तें अनुबंध-I में दी गई हैं ।

4. संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन दिए जाने से संबंधित मामले पर विचार करने हेतु प्रत्येक विभाग में एक जांच समिति का गठन किया जाएगा । जांच समिति में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे । समिति के सदस्य ऐसे अधिकारी होंगे जिन्होंने संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन पर विचार किए जाने वाले ग्रेड से कम-से-कम एक स्तर ऊपर के पद धारण किए हुए हों और वे पद सरकार में अवर सचिव के समकक्ष रैंक से नीचे के नहीं हों । अध्यक्ष आमतौर पर समिति के सदस्यों के ग्रेड से एक ग्रेड ऊपर का होना चाहिए ।

5. जांच समिति की सिफारिशों को उन मामलों में जहां समिति मंत्रालय/विभाग में गठित की गई है, सचिव के समक्ष, या अन्य मामलों में संगठन के अध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा ।

6. प्रशासनिक तंत्र पर अनुचित दबाव को रोकने के क्रम में, जांच समिति एक नियत समय का पालन करेगी और एक वित्तीय वर्ष में इसकी दो बैठकें होंगी जो अधिमानित: एक वर्ष की आधी अवधि के दौरान देय होने वाले मामलों की प्रक्रिया पहले से ही पूरी करने के लिए एक वर्ष में जनवरी के प्रथम सप्ताह तथा जुलाई के प्रथम सप्ताह में होंगी । तदनुसार एक वित्तीय वर्ष विशेष की प्रथम आधी अवधि (अप्रैल-सितंबर) के दौरान देय होने वाले वित्तीय उन्नयन संबंधी मामलों को जनवरी के प्रथम सप्ताह में होने वाली जांच समिति की बैठक में विचारार्थ लिया जाएगा । इसी प्रकार, किसी वित्तीय वर्ष के प्रथम सप्ताह में होने वाली जांच समिति की बैठक में उन मामलों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी जो उसी वित्तीय वर्ष की दूसरी आधी अवधि (अक्तूबर-मार्च) के दौरान देय होंगे ।

7. तथापि, संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना को लागू करने के लिए, संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण इन अनुदेशों के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर पहली जांच समिति का गठन करेंगे जिससे कि इस योजना के अंतर्गत लाभ दिए जाने के लिए 30 जून, 2009 तक के देय मामलों पर विचार किया जा सके ।

8. जहां तक भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के परामर्श के बाद जारी किए जाएंगे ।

9. संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन की उपर्युक्त योजना के प्रावधानों के अर्थ और कार्यक्षेत्र के विषय में होने वाले संदेह की कोई व्याख्या/स्पष्टीकरण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (स्थापना-घ) द्वारा दिया जाएगा । यह योजना 01.09.2008 से लागू होगी । अन्य शब्दों में, अगस्त, 1999 की ए.सी.पी. स्कीम के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय उन्नयन 31.08.2008 तक दिया जाएगा ।

10. संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वेतन निर्धारण के कारण वरिष्ठ की तुलना में अधिक वेतन ले रहे कनिष्ठ के संबंध में वेतन बैंड या ग्रेड वेतन में वेतन की कोई बढ़ोतरी स्वीकार्य नहीं होगी ।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि पिछला कोई भी मामला फिर से शुरू नहीं किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना लागू करते समय उसी संवर्ग में अगस्त, 1999 की पुरानी ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत तथा संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन की अदायगी के कारण वेतनमानों में भिन्नता आ जाने पर उसका अर्थ एक विसंगती के रूप में नहीं लगाया जाएगा ।

(एस.जैनेन्द्र कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार

अनुबंध-I

संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना (एम.ए.सी.पी.एस.)

1. संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत तीन वित्तीय अपग्रेडेशन (उन्नयन) दिए जाएंगे जिनकी गणना, सीधे भर्ती ग्रेड से क्रमशः 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर की जाएगी । इस योजना के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन तब अनुज्ञेय होगा जब किसी व्यक्ति ने समान ग्रेड वेतन के अंतर्गत 10 वर्ष पूरे कर लिए होंगे ।

2. संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना में केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 की पहली अनुसूची के खंड I, भाग-क में दिए गए अनुसार संस्तुत संशोधित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के पदक्रम में तत्काल अगले उच्चतर ग्रेड वेतन में मात्र स्थापन करने की परिकल्पना की गई है । अतः एम.ए.सी.पी.एस. के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन के समय पर ग्रेड वेतन, कतिपय मामलों में जहां, दो अन्तरवर्ती ग्रेडों के बीच नियमित पदोन्नति नहीं होती, उससे भिन्न हो सकता है, जो नियमित पदोन्नति के समय पर उपलब्ध होता । अतः ऐसे मामलों में, संबंधित संवर्ग/संगठन के पदक्रम में अगले पदोन्नति पद से जुड़ा उच्चतर ग्रेड वेतन केवल नियमित पदोन्नति के समय पर ही दिया जाएगा ।

3. एम.ए.सी.पी.एस. के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन वेतन बैंड-4 में उच्चतम ग्रेड वेतन-12000/-रूपए तक अनुज्ञेय होगा ।

4. इस योजना के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन के समय पर नियमित पदोन्नति के समय प्रदान किया जाने वाला वेतन निर्धारण का लाभ भी अनुज्ञेय होगा । अतः ऐसे में वेतन, इस प्रकार हुए अपग्रेडेशन से पूर्व, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में आहरित किए जा रहे कुल वेतन के 3 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा । तथापि, नियमित पदोन्नति, यदि वे एम.ए.सी.पी.एस. के अंतर्गत यथा प्रदत्त समान ग्रेड वेतन में हुई है तो उस समय वेतन निर्धारण का और लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा । तथापि, वास्तविक पदोन्नति, यदि किसी ऐसे पद पर हुई है जिसका ग्रेड वेतन उससे उच्चतर है, जो एम.ए.सी.पी.एस. के अंतर्गत उपलब्ध होता, तो वेतन का निर्धारण नहीं किया जाएगा और केवल ग्रेड वेतन का अंतर प्रदान किया जाएगा । उदाहरण के लिए कोई सरकारी कर्मचारी वेतन बैंड-I में 1900/-रूपए के ग्रेड वेतन में सीधे भर्ती उम्मीदवार के रूप में सेवा में प्रवेश करता है और उसे सेवा के 10 वर्ष पूरे करने पर भी कोई पदोन्नति नहीं मिलती तो उसे एम.ए.पी.एस. के अंतर्गत, 2000/-रूपए के अगले उच्चतर ग्रेड में वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान किया जाएगा और उसका वेतन एक वेतन वृद्धि देकर जमा ग्रेड वेतन का अंतर (अर्थात 100/-रूपए) देकर निर्धारित किया जाएगा ।

एम.ए.सी.पी.एस. के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन प्राप्त करने के बाद यदि सरकारी कर्मचारी अपने संवर्ग में अगले पदक्रम पर पदोन्नति प्राप्त कर लेता है जो कि 2400/-रूपए का ग्रेड वेतन है, तो नियमित पदोन्नति पर उसे ग्रेड वेतन का अंतर अर्थात 2000/-रूपए और 2400/- रूपए का अंतर प्रदान किया जाएगा । इस स्तर पर कोई अतिरिक्त वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी ।

5. विगत में हुई पदोन्नतियां संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत प्रदत्त अपग्रेडेशन जो ऐसे ग्रेडों में हुए हों, जो कि अब छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमानों के सम्मिलित (मर्जर)/पदों के अपग्रेडेशन के कारण, समान ग्रेड वेतन रखते हैं, उनहें संशोधित सुनिश्चित कैरिअर की संशोधित प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत अपग्रेडेशन प्रदान करने के प्रयोजन से उपेक्षित कर दिया जाएगा ।

किसी विशिष्ट संगठन में संशोधन पूर्व पदक्रम (बढ़ते हुए क्रम में) निम्नानुसार था :

5000-8000/-रूपए, 5500-9000/-रूपए, 6500-10500/-रूपए.

(क) एक सरकारी कर्मचारी जो 5000-8000/-रूपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान में पदक्रम में भर्ती हुआ और उसे दिनांक 1-1-2006 से पूर्व सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लेने पर भी कोई पदोन्नति प्राप्त नहीं हुई, उसके मामले में दिनांक 1-1-2006 की स्थिति के अनुसार उसे अपने संगठन के पदक्रम में अगले ग्रेड में सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के तहत दो वित्तीय अपग्रेडेशन प्राप्त हो चुके होते, अर्थात 5500-9000/-रूपए और 6500-10500/-रूपए ।

(ख) संशोधन पूर्व वेतनमान 5000-8000/-रूपए में समान पदक्रम में भर्ती होने वाले एक अन्य सरकारी कर्मचारी ने भी सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए किन्तु उसे उस अवधि के दौरान अगले उच्चतर ग्रेड अर्थात् 5500-9000/-रूपए और 6500-10500/-रूपए के ग्रेड में दो पदोन्नतियां प्राप्त हो गई ।

उपर्युक्त (क) और (ख) दोनों मामलों में 1-1-2006 से पहले 5500-9000/-रूपए और 6500-10500/-रूपए के संशोधन पूर्व वेतनमानों में हुई पदोन्नतियां/ए.सी.पी. के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन इस आधार पर उपेक्षित/अनदेखा कर दिए जाएंगे कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 5000-8000/-रूपए, 5500-9000/-रूपए और 6500-10500/-रूपए के संशोधन पूर्व वेतनमान संविलियत (मर्ज) कर दिए गए हैं । केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली के अनुसार दोनों को ही वेतन बैंड-2 में 4200 /-रूपए ग्रेड वेतन दिया जाएगा । एम.ए.सी.पी.एस. के कार्यान्वयन के बाद उपयुक्त (क) और (ख) दोनों मामलों में वेतन बैंड-2 में अगले

उच्चतर ग्रेड वेतन 4600/-रूपए और 4800/-रूपए के दो वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान किए जाएंगे ।

6. ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत 1-1-2006 तक वित्तीय अपग्रेडेशन प्राप्त कर चुके सभी कर्मचारियों के मामले में उनका संशोधित वेतन, उन्हें ए.सी.पी. के तहत प्रदान किए जा चुके वेतनमान के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा ।

6.1 दिनांक 1-1-2006 और 31-08-2008 के बीच प्रदान किए जा चुके ए.सी.पी. अपग्रेडेशन के मामले में सरकारी कर्मचारी को केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के अंतर्गत संशोधित वेतन ढांचे के अंतर्गत अपने वेतन को दिनांक1-1-2006 की स्थिति को उसके संशोधन पूर्व वेतनमान में1-1-2006 से अथवा (ख) ए.सी.पी. के तहत प्रदान किए गए संशोधन पूर्व वेतनमान के संदर्भ में ए.सी.पी. के तहत प्रदान किए वित्तीय अपग्रेडेशन की तारीख से निर्धारित करवाने का विकल्प उपलब्ध होगा । विकल्प (ख) की स्थिति में वह अपने वेतन की पिछली बकाया धनराशि अपने विकल्प की तारीख अर्थात ए.सी.पी. के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन की तारीख से आहरित करने का पात्र होगा ।

6.2 ऐसे मामलों में जहां किसी सरकारी कर्मचारी को वित्तीय अपग्रेडेशन, अगस्त, 1999 को ए.सी.पी. योजना के प्रावधानों के अनुसार अपने संवर्ग के पदक्रम में अगले उच्चतर वेतनमान में प्रदान किया गया है, किन्तु छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप संवर्ग के पदक्रम में अगला उच्चतर पद, उच्चतर ग्रेड वेतन स्वीकृत करके अपग्रेड कर दिया गया है, ऐसे कर्मचारी का वेतन, संशोधित वेतन ढांचे में, पद के लिए मंजूर किए गए उच्चतर ग्रेड वेतन के संदर्भ में नियत किया जाएगा । उदाहरण के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.पी.) में कनिष्ठ अभियंता के मामले में जिसे अपने पदक्रम में सहायक अभियंता के पद हेतु 6500-10500/-रूपए के संशोधन पूर्व वेतनमान में पहली ए.सी.पी. प्रदान की गई जिसका समरूप संशोधित ग्रेड वेतन, वेतन बैंड-2 में 4200/-रूपए है, अब उसे सी.पी.डब्ल्यू.डी में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने के परिणामस्वरूप सहायक अभियंता के पद का अपग्रेडेशन कर दिए जाने से वेतन बैंड-2 में ग्रेड वेतन 4600/-रूपए का ग्रेड वेतन प्रदान करके वेतन बैंड-2 में ग्रेड वेतन 4600/-रूपए प्रदान किया जाएगा । तथापि, संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम.ए.सी.पी.एस.) के कार्यान्वयन की तारीख से योजना के तहत सभी वित्तीय अपग्रेडेशन, पूर्णतया केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 द्वारा यथा अधिसूचित वेतन बैंडों में ग्रेड वेतन के पदक्रम अनुसार किए जाएंगे ।

7. संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत पदोन्नति/वित्तीय अपग्रेडेशन देते समय अपना वेतन नियत करवाने के संबंध में किसी सरकारी कर्मचारी को मूल नियम 22 (1)(क)(1) के अंतर्गत उसकी पदोन्नति/अपग्रेडेशन की तारीख से अथवा उसकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख अर्थात् उस वर्ष की 1 जुलाई से उच्चतर पद/ग्रेड वेतन में वेतन नियत करवाने का विकल्प है । वेतन और वेतन वृद्धि की तारीख को व्यय विभाग के दिनांक 13.9.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1/2008-आई.सी. की स्पष्टीकरण संख्या 2 के अनुसार नियत किया जाएगा ।

8. भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति पद सोपान में उसी ग्रेड वेतन में प्राप्त की गई पदोन्नतियों की गणना की संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के आशय से की जाएगी ।

8.1 छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 5400/-रूपए का ग्रेड वेतन अब दो वेतन बैंडों अर्थात् पी.बी.2 और 3 में है । पी.बी. 2 में 5400/-रूपए के ग्रेड वेतन और पी.बी.3 में 5400/-रूपए के ग्रेड वेतन को संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत अपग्रेडेशन दिए जाने के आशय से अलग-अलग ग्रेड वेतन माना जाएगा ।

9. संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के आशय से 'नियमित सेवा', या सीधे भर्ती आधार पर अथवा संविलियन/पुनर्नियोजन आधार पर नियमित आधार पर सीधे प्रवेश ग्रेड के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से शुरू होगी । नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण पर नियमित नियुक्ति से पूर्व तदर्थ/संविदा आधार पर की गई सेवा की गणना नहीं की जाएगी । फिर भी किसी नए विभाग में नियमित नियुक्ति से पूर्व उसी ग्रेड वेतन वाले पद पर दूसरे सरकारी विभाग में बिना किसी अंतराल के की गई पिछली नियमित निरंतर सेवा की गणना केवल संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के आशय से नियमित अर्हक सेवा के लिए की जाएगी (और नियमित पदोन्नतियों के लिए नहीं) । फिर भी ऐसे मामलों में सुनिश्चित कैरिअर की संशोधित प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत प्रसुविधाओं पर, नए पद में परिवीक्षा की अवधि के संतोषजनक पूरा होने तक विचार नहीं किया जाएगा ।

10. किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी सेवा में नियुक्ति से पूर्व किसी राज्य सरकार/सांविधिक निकाय/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन में की गई पिछली सेवा की गणना नियमित सेवा के आशय से नहीं की जाएगी ।

11. 'नियमित सेवा' नियमित सेवा में प्रतिनियुक्ति/बाहर सेवा पर बिताई गई सारी अवधि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत अध्ययन छुट्टी और सभी प्रकार की छुट्टी शामिल होगी ।

12. संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना कार्यभारित (वर्क चार्जेड) कर्मचारियों पर भी लागू होगी यदि उनकी सेवा शर्तें नियमित स्थापना के कर्मचारियों के तुलनीय हैं ।

13. किसी मंत्रालय/विभाग अथवा इसके कार्यालयों में कर्मचारियों की किसी विशेष श्रेणी के लिए विद्यमान स्वस्थाने पदोन्नति योजना स्टाफ कार ड्राइवर योजना सहित मौजूदा समयबद्ध पदोन्नति योजना किसी भी प्रकार की पदोन्नति योजना का, कर्मचारियों की संबंधित श्रेणियों के लिए लागू रहना जारी रह सकता है यदि संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक परामर्श करने के पश्चात इन योजनाओं को जारी रखने का निर्णय लिया जाता है अथवा ये संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना को अपना सकते है । फिर भी ये योजनाएं संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के साथ साथ नहीं चलेंगी ।

14. संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना केवल केन्द्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों पर सीधे तौर पर लागू हैं । यदि किसी मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले केन्द्रीय स्वायत्त/सांविधिक निकायों के कर्मचारियों पर स्वतः ही लागू नहीं होगी । शामिल वित्तीय विविक्षाओं के मद्देनजर संबंधित शासकीय निकाय/निदेशक मण्डल और प्रशासनिक मंत्रालय के द्वारा इस बारे में एक सचेत निर्णय लेना होगा और जहां कहीं संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना को अंगीकार करना प्रस्तावित हो वहां वित्त मंत्रालय की पूर्व अनुमति ली जाएगी ।

15. यदि संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत कोई वित्तीय अपग्रेडेशन स्थगित कर दिया जाता है और कर्मचारी के अनुपयुक्त होने अथवा विभागीय कार्यवाहियों आदि के कारण 10 वर्ष के पश्चात भी किसी ग्रेड वेतन में यह नहीं दिया जाता है तो इसका उस अगले वित्तीय अपग्रेडेशन पर परिणामी प्रभाव होगा जो पहले वित्तीय अपग्रेडेशन दिए जाने में हुई देरी की अवधि के बराबर अवधि तक स्थगित कर दिया जाता है ।

16. उपर्युक्त योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन दिए जाने पर पदनाम, वर्गीकरण अथवा उच्च स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा । फिर भी, वित्तीय और कतिपय अन्य प्रसुविधाएं जो किसी कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन से जुड़े हैं, जैसे कि गृह निर्माण अग्रिम सरकारी आवास का आवंटन की अनुमति दी जाएगी ।

17. वित्तीय अपग्रेडेशन उपयुक्तता के अध्यधीन पी.बी.। के भीतर ग्रेड वेतन के पद सोपन में गैर कार्यात्मक आधार पर होगा । इसके पश्चात संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत अपग्रेडेशन के लिए 'अच्छा' का बैंच मार्क पी.बी.3 में

6600/-रूपए के ग्रेड वेतन तक मार्क लागू होगा । 7600/-रूपए और इससे ऊपर के ग्रेड वेतन में वित्तीय अपग्रेडेशन के लिए बैंच मार्क 'बहुत अच्छा' होगा ।

18. अनुशासनिक/शास्ति की कार्यवाहियों के मामले में संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत प्रसुविधाओं का दिया जाना साधारण पदोन्नति को शास्ति करने वाले नियमों के अध्यधीन होगा । अतः ऐसे मामले केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 और इसके अंतर्गत जारी अनुदेशों के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित किए जाएगें ।

19. संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना में केवल अगले उच्चतर ग्रेड वेतन/वित्तीय लाभ की स्वीकृति वैयक्तिक आधार पर अभिकल्पित है और इसके संबंधित कर्मचारियों की वास्तविक/कार्यात्मक पदोन्नति हेतु नहीं है । अतः संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना पर कोई भी आरक्षण आदेश/रोस्टर लागू नहीं होगा जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सभी पात्र कर्मचारियों को एकसमान रूप प्रसुविधाएं देगा । फिर भी नियमित पदोन्नति के समय पदोन्नति में आरक्षण के नियमों को सुनिश्चित किया जाएगा । इस कारण से इस योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन दिए जाने के क्रम में मामलों पर विचार किए जाने वाली जांच समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य नहीं होगा ।

20. संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन कर्मचारी को विशुद्धतः व्यक्तिक रूप से दिया जाएगा और उसकी वरिष्ठता स्थिति से इसका कोई संबंध नहीं होगा । इसी प्रकार वरिष्ठ कर्मचारियों को इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय अपग्रेडेशन नहीं दिया जाएगा कि इस ग्रेड में कनिष्ठ कर्मचारी ने संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त कर लिया है ।

21. संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत अनुमन्य वेतन बैंड में आहरित वेतन और ग्रेड वेतन की गणना सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में सेवांत प्रसुविधाओं का निर्धारण करने के लिए की जाएगी ।

22. यदि कोई समूह "क" सरकारी कर्मचारी जो सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के दायरे में नहीं आता था और अब वह 30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के पश्चात तीसरे वित्तीय अपग्रेडेशन का सीधे हकदार हो गया है तो उसका वेतन संशोधित वेतन बैंडों और ग्रेड वेतनों के पद सोपान में निरंतर अगले तीन तत्काल उच्चतर ग्रेड वेतन देकर नियत किया जाएगा और प्रत्येक स्तर पर तीन प्रतिशत का वेतन निर्धारण का लाभ की अनुमति दी जाएगी । दूसरे वित्तीय अपग्रेडेशन के लिए पात्र होने वाले व्यक्तियों का वेतन भी तदनुसार नियत किया जाएगा ।

23. यदि कोई कर्मचारी अपने संगठन में अधिशेष घोषित कर दिया जाता है और किसी नए संगठन में उसी वेतनमान अथवा उससे निम्नतर वेतनमान में नियुक्त किया जाता है तो उसके द्वारा पूर्व संगठन में की गई नियमित सेवा की गणना, संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन दिए जाने के लिए उसके नए संगठन की नियमित सेवा के लिए की जाएगी ।

24. यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति/सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन प्राप्त करने के बाद किसी निचले पद अथवा निचले वेतनमान पर एकतरफा स्थानान्तरण की मांग करता है तो वह, नए संगठन में, उस पद पर उसकी प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख से, संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत 20/30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर लेने पर, जैसा भी मामला हो, केवल दूसरे और तीसरे वित्तीय उन्नयन के लिए केवल हकदार होगा ।

25. यदि कर्मचारी को नियमित पदोन्नति दी गई है परन्तु उसने वित्तीय उन्नयन का हकदार बनने से पहले मना कर दिया था तो कोई वित्तीय उन्नयन नहीं दिया जाएगा क्योंकि ऐसे कर्मचारी को अवसरों की कमी के कारण गतिहीन नहीं किया गया है तथापि, यदि वित्तीय उन्नयन की अनुमति गतिहीनता के कारण नहीं दी गई है और तत्पश्चात कर्मचारी ने पदोन्नति से मना कर दिया है तो यह वित्तीय उन्नयन को वापस लेने का आधार नहीं होगा । फिर भी, वह अगले वित्तीय उन्नयन पर विचार करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह पुनः पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए सहमत नहीं होता है और अगला दूसरा वित्तीय उन्नयन इंकार के कारण विवर्जन की अवधि समाप्त होने तक भी स्थगित कर दिया जाएगा ।

26. पूर्णतया तदर्थ आधार पर उच्चतर पदों को धारण किए हुए व्यक्तियों के मामले भी अन्य व्यक्तियों के मामलों के साथ छानबीन समिति द्वारा विचार किए जाएंगे । उन्हें, निचले पद पर वापस आने अथवा तदर्थ आधार पर लिए गए वेतन की तुलना में यदि यह लाभकारी है वित्तीय उन्नयन के लाभ की अनुमति दी जा सकती है ।

27. प्रतिनियुक्ति पर चल रहे कर्मचारियों को संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोनन्यन योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ लेने के लिए मूल विभाग को वापस करने की आवश्यकता नहीं है । वे स्वधारित पद के वेतन बैंड में वेतन तथा ग्रेड वेतन के लिए जाने अथवा संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोनन्यन योजना के अंतर्गत स्वयं को प्राप्त वेतन जमा ग्रेड वेतन, इनमें से जो भी लाभकारी हो, का नया विकल्प दे सकते हैं ।

28. <u>स्पष्टीकरण</u>

क (i) यदि वेतन बैंड-I में ग्रेड वेतन 1900 रूपए में कोई सरकारी कर्मचारी (अवर श्रेणी लिपिक) 8 वर्ष की सेवा पूरी करने पर वेतन बैंड-I, ग्रेड वेतन 2400 रूपए मे अपनी पहली नियमित पदोन्नति (उच्च श्रेणी लिपिक) प्राप्त करता है और फिर वह बिना किसी पदोन्नति के अगले 10 वर्षों के लिए उसी ग्रेड वेतन में बना रहता है तब वह 18 वर्ष (8+10 वर्ष) की सेवा पूरी करने के बाद वेतन बैंड-I, ग्रेड वेतन 2800/-रूपए में संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोनन्यन योजना के अंतर्गत दूसरे वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र होगा ।

(ii) यदि, उसके बाद वह कोई पदोन्नति नहीं प्राप्त करता है तो वह वेतन बैंड-II, ग्रेड वेतन 4200/-रूपए में अगले 10 वर्षों की सेवा पूरी करने पर अर्थात 28 वर्ष बाद (8+10+10) तीसरा वित्तीय उन्नयन प्राप्त करेगा ।

(iii) तथापि, यदि वह वेतन बैंड-II, ग्रेड वेतन 4200 रूपए (सहायक ग्रेड/ग्रेड 'सी') में अगले 5 वर्ष की सेवा के बाद अर्थात 23 वर्ष की सेवा पूरी करने पर दूसरी पदोन्नति प्राप्त करता है तो वह 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अर्थात वेतनबैंड-II, ग्रेड वेतन 4600/-रूपए में दूसरा सुनिश्चित कॅरिअर प्रोनन्यन योजना के 10 वर्ष के बाद तीसरा वित्तीय उन्नयन प्राप्त करेगा ।

(iv) उपर्युक्त दृश्य लेख में, ऐसे उन्नयन से पहले लिए गए वेतन बैंड में कुल वेतन और ग्रेड वेतन में 3% की वेतनवृद्धि की जाएगी । फिर भी, नियमित पदोन्नति के समय अगला वेतन नियत नहीं होगा यह उसी ग्रेड वेतन अथवा <u>उच्चतर ग्रेड वेतन में</u> है । केवल ग्रेड वेतन का अन्तर पदोन्नति के समय स्वीकार्य होगा ।

(ख) यदि वेतन बैंड-I, ग्रेड वेतन 1900 रूपए के सरकारी कर्मचारी (अवर श्रेणी लिपिक) को वेतनबैंड-I, ग्रेड वेतन 2000 रूपए में 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोनन्यन योजना के अंतर्गत पहला वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया जाता है और 5 वर्ष बाद, वह वेतन बैंड-I ग्रेड वेतन 2400 रूपए में पहली नियमित पदोन्नति दी जाती तो उसे संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोनन्यन योजना के अंतर्गत दूसरा वित्तीय उन्नयन(सरकारी कर्मचारी के द्वारा धारित ग्रेड वेतन के संदर्भ में अगले ग्रेड वेतन में) वेतन बैंड-I, ग्रेड वेतन 2800 रूपए में 20 वर्ष की सेवा पूरी करने पर स्वीकार किया जाएगा । 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर, वह ग्रेड वेतन 4200 रूपए में तीसरा संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोनन्यन प्राप्त करेगा । तथापि, यदि 20 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पहले ही दो पदोन्नति प्राप्त हो जाती है तो तीसरा वित्तीय उन्नयन केवल, दूसरी पदोन्नति की तारीख अथवा 30 वर्ष की सेवा, इनमें से

जो भी पहले हो, से उस शेड वेतन में 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर स्वीकार्य होगा ।

(ग) यदि किसी सरकारी कर्मचारी को 24 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर लेने के बाद या तो, दो नियमित पदोन्नति अथवा अगस्त, 1999 की संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोमन्यन योजना के अंतर्गत दो वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किए गए हैं तो तीसरा वित्तीय उन्नयन, 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर, बशर्ते कि उसने उच्च पद पद सोपान में तीसरी पदोन्नति न ली हो, संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोनन्यन योजना के अंतर्गत स्वीकार्य होगा ।

(एस.जैनेन्द्र कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार

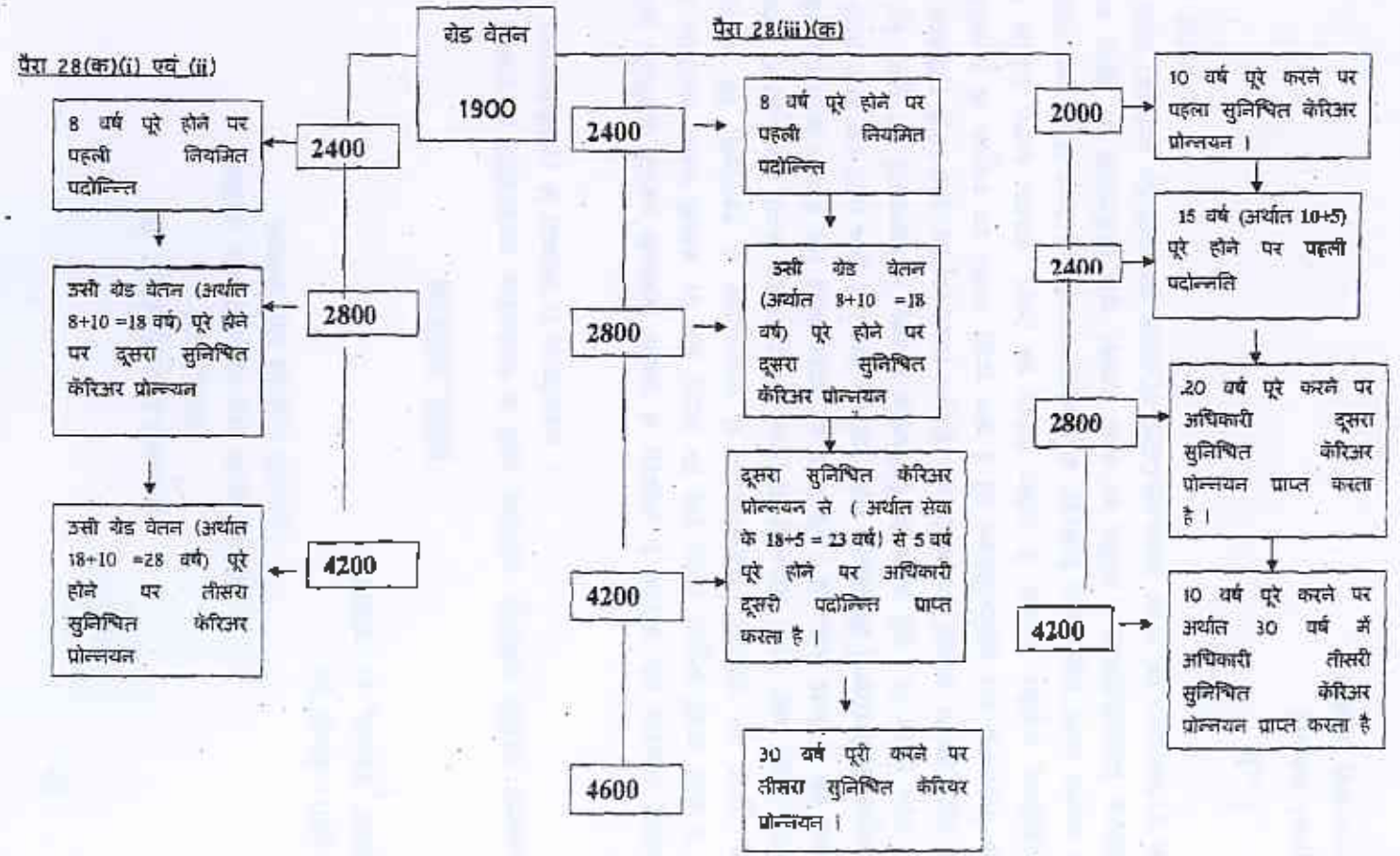
ग्रेड वेतन
1900
पैरा 28(क)(i) एवं (ii)
पैरा 28(iii)(क)
8 वर्ष पूरे होने पर पहली नियमित पदोन्नति
2400
उसी ग्रेड वेतन (अर्थात 8+10 =18 वर्ष) पूरे होने पर दूसरा सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन
2800
उसी ग्रेड वेतन (अर्थात 18+10 =28 वर्ष) पूरे होने पर तीसरा सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन
4200
2400
8 वर्ष पूरे होने पर पहली नियमित पदोन्नति
2800
उसी ग्रेड वेतन (अर्थात 8+10 =18 वर्ष) पूरे होने पर दूसरा सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन
4200
दूसरा सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन से (अर्थात सेवा के 18+5 = 23 वर्ष) से 5 वर्ष पूरे होने पर अधिकारी दूसरी पदोन्नति प्राप्त करता है ।
4600
30 वर्ष पूरी करने पर तीसरा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन ।
2000
10 वर्ष पूरे करने पर पहला सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन ।
2400
15 वर्ष (अर्थात 10+5) पूरे होने पर पहली पदोन्नति
2800
20 वर्ष पूरे करने पर अधिकारी दूसरा सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन प्राप्त करता है ।
4200
10 वर्ष पूरे करने पर अर्थात 30 वर्ष में अधिकारी तीसरी सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन प्राप्त करता है

सं. 35034/3/2008-स्थापना(घ)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली-110001.
दिनांक 16 दिसम्बर, 2009.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपीएस) के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ।

संशोधित् सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन योजना के सम्बन्ध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19 मई, 2009 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है । छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप संशोधन पूर्व समूह 'घ' वेतनमानों अर्थात् 2550-3200 रुपये, 2610–3540 रुपये, 2610-4000 रुपये और 2650-4000 रुपये को अपग्रेड कर दिया गया है और इसके स्थान पर वेतन बैंड-1 में 1800 रुपये के ग्रेड वेतन का संशोधित वेतन ढांचा कर दिया गया है । छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार इन संशोधनों पूर्व समूह 'घ' वेतनमानों के सरकारी कर्मचारियों को वेतन बैंड-1 में 1800 रुपये के ग्रेड वेतन का संशोधित वेतन ढांचा स्वीकृत किया गया है । एमएसीपीएस दिनांक 19.05.2009 के अनुबंध-I के बिन्दु-5 के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है कि उपरोल्लिखित चार वेतनमानों को बीते समय में अर्जित अथवा अगस्त, 1999 की एसीपी स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत अपग्रेडेशन जिनका ग्रेड वेतन अब 1800 रुपये है, को एमएसीपीएस के उद्देश्यार्थ नज़रअंदाज किया जाएगा । तथापि, वर्तमान समूह 'घ' कर्मचारियों द्वारा 1900/- रुपये का अर्जित पदोन्नति/वित्तीय अपग्रेड किए गए ग्रेड वेतन (संशोधन पूर्व वेतनमान 3050-75-3590-80-4590 रुपये) को एमएसीपीएस के उद्देश्यार्थ गिना जाएगा ।

ह०/-
(आलोक रंजन)
निदेशक (स्थापना)

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (स्टैंडर्ड सूची के अनुसार)

15

तत्काल

संख्या 35034/3/2008-स्था.(घ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

स्थापना(घ)

* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।

दिनांक: 9 सितंबर, 2010

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय :- केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपीएस) – संबंधित स्पष्टीकरण ।

अधोहस्ताक्षरी को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपीएस) के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 मई, 2009 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का हवाला देने का निदेश हुआ है । इस योजना के शुरु होने के परिणामस्वरूप संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के संबंध में कतिपय मुद्दों पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्पष्टीकरण मांगे गए हैं । विभिन्न स्रोतों द्वारा उठाए गए संदेहों की यथापूर्वक जांच की गई है तथा तदनुसार बिन्दुवार स्पष्टीकरणों को अनुबंध में दर्शा दिया गया है ।

2. का उपर्युक्त स्पष्टीकरणों (अनुबंध) के साथ पठित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 मई, 2009 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए एमएसीपीएस को कड़ाई से कार्यान्वित किया जाना चाहिए ।

3. सभी मंत्रालय/विभाग इस कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु को सामान्य मार्गदर्शन तथा मामले में उपयुक्त कार्रवाई हेतु व्यापक रूप से परिचालित करें ।

ह०

(स्मिता कुमार)

निदेशक (स्थापना-I)

दूरभाष नं. : 23092479

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)

अनुबन्ध

[सन्दर्भ :- दिनांक 9.9.2010 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/2008-स्था.(घ)]

क्र.सं.	सन्देह का बिन्दु	स्पष्टीकरण
1	क्या संशोधित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाने पर वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन के पदानुक्रम में वेतन बैंड परिवर्तित होगा ?	जी, हां । संशोधित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत प्रोन्नयन सी.सी.एस(आर.पी) नियमावली, 2008 में निर्धारित किए अनुसार संस्तुल संशोधित वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन के पदानुक्रम में एकदम अगले उच्च ग्रेड वेतन में प्रदान किया जाएगा ।
2	क्या संशोधित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपीएस) का लाभ ऐसे सरकारी सेवकों को प्रदान किया जाएगा जिन्हें बाद में संगठित समूह 'क' सेवा में ले लिया गया है ।	जी, नहीं । एमएसीपीएस के अंतर्गत लाभ संगठित समूह 'क' सेवा के समूह 'क' अधिकारियों के लिए अनुमेय नहीं होते क्योंकि संगठित समूह 'क' सेवा के अंतर्गत अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ दो वर्ष की समानता गैर-कार्यात्मक आधार पर पहले ही प्रदान की गई है ।
3	सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के लाभ यदि 1.1.2006 तथा 31.8.2008 के बीच देय हों तो उन्हें किस प्रकार प्रदान किया जाएगा ?	नई एमएसीपीएस 1.9.2008 से प्रभाव में आई है । तथापि, वेतन संरचना 1.1.2006 से परिवर्तित हो गई है । अतः पिछली एसीपी 1.1.2006 को अपनाई गई नई वेतन संरचना में लागू होगी । एमएसीपीएस के अनुबंध-1 का पैरा 6.1 केवल संशोधित वेतन संरचना में आने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए है न कि एमएसीपीएस के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाने हेतु । निम्न उदाहरण इस स्थिति को स्पष्ट करते हैं - (क) अलग-थलग (isolated) पदों के मामले में - 01.10.1982 को संशोधन पूर्व वेतनमान ₹ 4000-6000 में प्रवेशी ग्रेड में नियुक्ति की तारीख 9.8.1999 को प्रदान की गई प्रथम एसीपी : ₹ 4500-7000 (संशोधन पूर्व) 1.10.2006 को देय द्वितीय एसीपी : ₹ 5000-8000 (संशोधन पूर्व) एमएसीपीएस के अंतर्गत संस्तुल संशोधित वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अर्थात् ₹ 4600 के ग्रेड वेतन में एकदम अगले उच्च ग्रेड वेतन में तीसरा वित्तीय प्रोन्नयन 1.10.2012 को (30 वर्ष की नियमित निरंतर सेवा पूरी करने पर) देय होगा ।

		<u>(ख) सामान्य पदोन्नति पदानुक्रम के मामले में</u> - 1.10.1982 के संशोधन पूर्व वेतनमान ₹ 5500-9000 में प्रवेशी ग्रेड में नियुक्ति की तारीख 9.8.1999 को प्रदान की गई प्रथम एसीपी : ₹ 6500-10500 (संशोधन पूर्व) 1.10.2006 को देय द्वितीय एसीपी (मौजूदा पदानुक्रम के अनुसार) : ₹ 10000-15200 (संशोधन पूर्व) अत: द्वितीय एसीपी ₹ 6600 के ग्रेड वेतन वाले पी.बी-3 में होगी (उपलब्ध पदानुक्रम की शर्तों के अनुसार) एमएसीपीएस के अंतर्गत संस्तुत संशोधित वेतन बैंड तथा ₹ 7600 के ग्रेड वेतन में तीसरा वित्तीय प्रोन्नयन 1.10.2012 को एकदम अगले उच्च ग्रेड वेतन में देय होगा ।
4	क्या एमएसीपीएस के लाभ प्रवेशी ग्रेड की तारीख से अथवा विभिन्न सेवा नियमों के अंतर्गत गिनी गई उनकी नियमित/ अनुमोदित सेवा की तारीख से प्रदान किए जाएंगे ?	एमएसीपीएस के अंतर्गत लाभ प्रवेशी ग्रेड में पद का वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उपलब्ध होगा ।
5	ऐसे मामले में जिसमें किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर उच्च वेतनमान में किसी संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्त किया गया हो तथा उसके बाद संविलियन किया गया है तो क्या प्रतिनियुक्ति पर बिताई अवधि को निरंतर सेवा के रूप में अथवा एमएसीपीएस के उद्देश्यार्थ गिना जाएगा ?	(i) जब किसी व्यक्ति को समान ग्रेड में अन्य पद से सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाता है तो पिछले पद पर पूर्व पदोन्नति/एसीपी के साथ-साथ पिछली नियमित सेवा को नए पदानुक्रम में एमएसीपीएस के उद्देश्यार्थ नियमित सेवा की संगणना हेतु गिना जाएगा । (ii) तथापि, जहां किसी व्यक्ति को शुरू में प्रतिनियुक्ति आधार पर उच्च ग्रेड में किसी संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्त किया गया हो तथा तत्पश्चात् संविलियन किया गया हो, तो पूर्व पद पर की गई सेवा, जो निम्न वेतनमान में की थी उसे गिना नहीं जा सकता, जबकि संविलियन से पहले संवर्ग बाह्य पद पर शुरुआत में प्रतिनियुक्ति आधार पर बिताई गई उस अवधि की गणना करने में कोई आपत्ति नहीं है जिसकी गणना एमएसीपीएस के अंतर्गत वित्तीय

		प्रोन्नयन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से नियमित सेवा हेतु की जा रही हो क्योंकि यह उस पद के सदृश वेतन बैंड/ग्रेड वेतन में होती है ।
6	क्या मूल पद के वेतनमान/ग्रेड वेतन को प्रतिनियुक्ति आधार पर उच्च पद पर नियुक्ति/चयन के लिए अथवा कार्यभारी सेवक के द्वारा लिए जा रहे वेतनमान/ग्रेड वेतन के लिए एसीपी/एमएसीपीएस योजना के कारण गिना जाएगा ।	प्रतिनियुक्ति आधार पर किसी उच्च पद पर नियुक्ति/चयन के लिए पात्रता का निर्णय करने हेतु मूल पद के वेतनमान/ग्रेड वेतन को ही गिना जाएगा ।
7	कर्मचारी के योग्य नहीं पाए जाने अथवा अनुशासनिक कार्रवाई के लिए विचाराधीन होने के कारण प्रथम/द्वितीय वित्तीय प्रोन्नयन को आस्थगित कर दिया जाता है, के मामले में क्या इसका द्वितीय/तृतीय वित्तीय प्रोन्नयन पर परिणामी प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं ।	जी, हां । यदि कर्मचारी के योग्य नहीं पाए जाने अथवा विभागीय कार्रवाई आदि हेतु विचाराधीन होने के कारण वित्तीय प्रोन्नयन स्थगित/आस्थगित कर दिया गया हो तो एमएसीपीएस के अंतर्गत द्वितीय/तृतीय वित्तीय प्रोन्नयन पर परिणामी प्रभाव होगा (एमएसीपीएस के अनुबंध-I का पैरा (ii)
8	ऐसे मामले में जिसमें सरकारी सेवक ने तीन पदोन्नतियां पहले ही अर्जित कर ली है तथा फिर भी 10 वर्षों से अधिक समय से अभी भी एक ही ग्रेड में प्रतिरोपित है तो क्या उसे एमएसीपीएस के अंतर्गत किसी अगले प्रोन्नयन की हकदारी होगी ?	जी, नहीं । क्योंकि सरकारी सेवक ने पहले ही तीन पदोन्नति अर्जित कर ली है, एमएसीपीएस के अंतर्गत उसे अगले वित्तीय प्रोन्नयन की हकदारी नहीं होगी ।
9	क्या समूह 'ग' गैर मैट्रिकुलेट कर्मचारियों के संबंध में ₹ 2750-4400 की संशोधन पूर्व वेतनमान को ₹ 2550-3200, ₹ 2610-3540, ₹ 2610-4000 तथा ₹ 2650-4000 के संशोधन पूर्व वेतनमान, जो प्रोन्नत तथा वेतन बैंड पी.बी-1 में ₹ 1800	जी, हां ।

	के वेड वेतन के संशोधित वेतन ढांचे द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं, के अनुसार एमएसीपीएस के उद्देश्यार्थ ₹ 1800 के वेड वेतन में यथासंविलयित माना जाएगा ।	
10	प्रतिनियुक्ति पर यदि कोई सरकारी कर्मचारी पोस्टिंग अर्जित करता है, तो क्या वह एमएसीपीएस के अंतर्गत वेतन तथा परिलब्धियों पर प्रतिनियुक्ति (कर्तव्य) भत्ते का हकदार होगा अथवा नहीं ।	जी, नहीं । जबकि संवर्ग बाह्य पद के भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी की संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्ति नियमित आधार पर मूल संवर्ग में धारित पद के पद/वेतनमान के संवर्ग में निर्धारित किया जाना जारी रहेगा (न कि एसीपी/एमएसीपीएस के अंतर्गत प्रदान किए गए उच्च वेतनमान के संदर्भ में), उसके बावजूद की स्थिति में ऐसे अधिकारी को प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान प्रतिनियुक्ति भत्ते के बिना एसीपी/एमएसीपीएस के अंतर्गत उच्च वेतनमान में वेतन आहरित करने के विकल्प की अनुमति दी जा सकती है, यदि यह प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति को विनियमित करने वाले मौजूदा सामान्य आदेशों के अंतर्गत सामान्य हकदारी के अधिक हो ।
11	चूंकि समूह 'घ' कर्मचारियों का वेतनमान संविलयित कर दिया है तथा ₹ 1800 के वेड वेतन में रख दिया गया है, क्या उन्हें प्रत्येक स्तर पर वेतन नियतन के दौरान 3% की दर से वेतनवृद्धि प्रदान किए जाने की हकदारी है ।	जी, हां । एमएसीपीएस के अनुबंध-I के पैरा 22 की सहायता के आधार पर ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों जिन्हें 1.1.2006 से ₹ 1800 के वेड वेतन में रखा गया है, का वेतन प्रत्येक स्तर पर 3% के वेतन नियतन का लाभ देने अनुमति प्रदान करते हुए संशोधित वेतन मैट्रिक्स के वेड वेतनों के पदानुक्रम में एक के बाद एक तीन एकदम उच्च वेड वेतनमानों में नियत किया जाएगा ।